भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 130

(दिनांक 02.02.2023 को उत्तर के लिए)

रोजगार मेले में नौकरियां

130. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेलों में कितने युवाओं को मुख्यत: किन-किन क्षेत्रों में नौकरियां प्रदान की गई है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आगे आने वाले समय में ऐसे कितने मेलों का आयोजन किया जाना है और कितने युवाओं को नौकरी देने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या हरियाणा में किसी स्थान पर ऐसे मेलों के आयोजन का प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : रिक्त पदों पर भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों एवं उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र, मृत्यु, पदोन्नति आदि के कारण रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। देश भर में रोजगार मेला कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और नव नियुक्त व्यक्तियों को विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(सीपीएसयू)/स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि में शामिल किया जाता है। प्रदान की गई नौकरियों की संख्या के ब्यौरे का रख-रखाव संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा किया जाता है।

(ख) : ऐसी उम्मीद है कि रोजगार मेला, आगे भी रोजगार और स्वरोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना जारी रखेगा और लगभग एक वर्ष की अवधि में 10 लाख युवाओं को लाभकारी सेवा अवसर प्रदान करेगा।

(ग) और (घ) : केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा देश भर में रोजगार मेले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों के ब्यौरों का रख-रखाव, रोजगार मेलों का आयोजन करने वाले संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों आदि द्वारा किया जाता है।

******